बिहार सरकार

समाहरणालय,सीवान।

जिला प्रोग्राम शाखा, आई0 सी0 डी0 एस0

ऑगनवाडी सेविका/सहायिका चयन हेतु विज्ञापन

विज्ञापन संख्या–01/2022

वाद सं0–31/18–19 में पारित आदेश एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सिसवन के पत्रांक 129 दिनांक 07.06.22 के आलोक में सिसवन प्रखंड के पंचायत राज नया गांव के वार्ड सं0–07 में सेविका चयन हेतु पोशक क्षेत्र (संबंधित पंचायत के वार्ड क्षेत्र) के स्थाई महिला निवासी (बहु) से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदिका अपना आवेदन विहित प्रपत्र में भरकर निर्धारित तिथि के अन्दर संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय में जमा कर सकती है। चयन से संबंधित विशेष जानकारी सेविका चयन की अर्हता आदि के संबंध में विशेष जानकारी बाल विकास परियोजना कार्यालय, सिसवन से प्राप्त की जा सकती है। विज्ञापन का प्रकाशन सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2019 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में किया जा रहा है जिसका प्रारूप निम्नवत है :–

क्र	विवरण	तिथि	अभ्युक्ति
1	आवेदन प्राप्त करने की तिथि	22.06.2022 से 06.07.2022 तक	
2	मेधा सूची प्रकाशन की तिथि	09.07.2022	तैयार मेधा सूची का प्रकाशन जिला के बेवसाईट/बा0वि0परि0कार्या0/प्रखण्ड कार्यालय के सूचनापट्ट पर एक सप्ताह के लिए किया जायेगा।
3	आम सभा की तिथि	16.07.2022 से 21.07.2022 तक	

अर्हत्ताऍः–

- **सेविका के लिए उम्रः**–ऑगनवाडी सेविका के चयन हेतु रिक्ति के प्रकाशन तिथि को उनकी न्यूनतम आयु 18 वर्श तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी।
- **शैक्षणिक योग्यताः**– (क) **ऑगनवाडी सेविका चयन हेतु शैक्षणिक योग्यता**–मैट्रिक एवं समकक्ष (अतिरिक्त विषयों को छोडकर) (जिसे मानव संसाधन विभाग, बिहार पटना द्वारा पंचायत शिक्षक नियोजन हेतु मान्यता दी गई है।) उत्तीर्ण होगी। अधिक योग्यता के लिए कोई प्राथमिकता नही दी जायेगी।
- **निवासी होने की योग्यताः**–ऑगनवाडी सेविका के अभ्यर्थी के मैपिग पंजी के अनुरुप संबंधित वार्ड (ग्रामीण क्षेत्र) पोशक क्षेत्र (शहरी क्षेत्र) का निवासी एवं मतदाता होना अनिवार्य होगा अथवा आवेदिका के पति/श्वसूर का नाम संबंधित वार्ड के मतदाता सूचि में अंकित होना अनिवार्य होगा। यदि आवेदिका का घर भौतिक रुप से रिक्ति वाले वार्ड ग्रामीण क्षेत्र, पोशक क्षेत्र (शहरी क्षेत्र) मे है, और वह वहॉ रह रही है। लेकिन उनका नाम अंतिम पंचायत चुनाव/अंतिम नगर निकाय चुनाव मतदाता सूची में यदि किसी कारण छुट गया है तो उनका या उनके पति या श्वसूर का नाम अंतिम पंचायत चुनाव/अंतिम नगर निकाय चुनाव के ठीक पूर्ववर्ती पंचायत चुनाव/पूर्ववर्ती नगर निकाय चुनाव की अंतिम मतदाता सूची में आवश्यक अंकित होना चाहिए।
- **अयोग्यताः**–आवेदिका जिनकी मासिक आय 12000/–(बारह हजार रुपये) या उससे ज्यादा है/जनप्रतिनिधि/संबंधित प्रखड के जन वितरण प्रणाली के विक्रेता चयन के लिए अयोग्य होगी। यदि किसी अभ्यर्थी को किसी न्यायालय से दण्डित किया गया हो तो उसे भी ऑगनवाडी सेविका/सहायिका के पद के लिए चयनित नही किया जायेगा।
- **आवेदन के साथ संलग्न सभी वांछित कागजात (Document) यथाः**–सेविका के लिए मैट्रिक उर्तीण का अंक पत्र एवं विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र तथा, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय (6माह) प्रमाण पत्र, आदि की छायाप्रति को स्वअभिप्रमाणित कर आवश्यक रुप से संलग्न करना अनिवार्य है।
- माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन करना बाध्यकारी होगा एवं किसी भी समय इस विज्ञापन को रद्द/संशोधन करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
- सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया विभागीय मार्गदर्शिका 2019 एवं उसमें किये गये संशोधित के अनुसार पूरी की जायेगी।

विस्तृत जानकारी के लिए state.bihar.gov.in/prdbihar पर देखा जा सकता है।

PR- 3965 (S W D) 2022-23

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,
सीवान।

नशे से बनानी दूरी है, क्योंकि परिवार जरूरी है।